स्कूलों में अनुचित प्रथाओं का निषेध विधेयक, 2012

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

रसीद के बिना प्रवेश फीस और अन्य प्रभारों को स्वीकार करने, परस्पर योग्यता सूची के बिना प्रवेश देने, प्रति व्यक्ति फीस स्वीकार करने का प्रतिषेध और जानकारी सूचना का प्रकाशन करना ।

3. रसीद के बिना प्रवेश फीस और अन्य प्रभारों को स्वीकार करने का प्रतिषेध ।

4. छात्रों के चयन के लिए विनिर्दिष्ट परस्पर योग्यता के बिना प्रवेश का प्रतिषेध ।

5. जानकारी सूचना, उसकी अंतर्वस्तु और उसकी कीमत का अनिवार्य प्रकाशन ।

6. प्रतिव्यक्ति फीस और अन्य अऋजु व्यवहारों का प्रतिषेध ।

7. प्रमाणपत्रों को वापस करने से इंकार करने या उनको विधारित करने या फीस, आदि के प्रतिदाय से इंकार करने पर प्रतिषेध ।

8. तथ्यों पर आधारित न होने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध ।

अध्याय 3

धनीय शास्तियों और/या अन्य शास्तियों का अधिरोपण

9. जानकारी सूचना में जानकारी के प्रतिकूल करने के लिए शास्ति ।

10. प्रति व्यक्ति फीस की मांग करने या उसको स्वीकार करने के लिए और अन्य अऋजु व्यवहारों के लिए शास्ति ।

11. दस्तावेजों को वापस करने से इंकार करने या उसको विधारित करने के लिए शास्ति ।

12. मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति ।

13. प्रतिव्यक्ति फीस आदि का अधिहरण ।

14. समुचित सरकार द्वारा विद्यालयों में न्यायनिर्णयन और शिकायत दूर करने के लिए प्राधिकारी अधिसूचित किया जाना।

15. शास्ति का न्यायनिर्णयन ।

16. शास्ति का न्यायनिर्णयन ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

17. अधिकारिता का वर्जन ।

18. तुच्छ या तंग करने वाली शिकायतें ।

19. जानकार मांगने की शक्ति ।

20. समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

21. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

23. अन्य विधियों का लागू होना, वर्जित न होना ।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

स्कूलों में अनुचित प्रथाओं का निषेध विधेयक, 2012

विद्यालयों में कतिपय अऋजु व्यवहारों का प्रतिषेध करने और उनमें माता-पिता तथा प्रविष्ट या प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के हितों का सरंक्षण करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्यालय अऋजु व्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 2012 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के ऐसे किसी उपबंध में प्रारंभ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रारंभ होने के प्रति निर्देश हैं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं

I " प्रवेश फीस" से किसी विद्यालय में प्रवेश के समय एकमुश्त राशि में प्रभारित की गई कोई फीस अभिप्रेत है ।

II " छानबीन प्रक्रिया" से किसी बालक के प्रवेश के लिए अनियत पद्धति से भिन्न, अन्य के अधिमान में चयन की पद्धति अभिप्रेत है ।

III " विज्ञापन" से मीडिया के किसी रूप में वर्णित या जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश के लिए भारत में अधिवासी व्यक्तियों को आमंत्रित करने वाली कोई सूचना, परिपत्र या अन्य दस्तावेज भी हैं;

IV " समुचित प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है, --

1. केंद्रीय सरकार द्वारा या विधान मंडल न रखने वाले संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रणाधीन विद्यालयों के लिए केंद्रीय सरकार;

2. निजी स्वतंत्र विद्यालयों के लिए संबद्धक निकाय परंतु ऐसे निकाय एक से अधिक राज्य में विद्यालयों को संबद्ध करते हो;

3. किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न, किसी विद्यालय के लिए राज्य सरकार;

4. उस संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित उपखंड (1) और उपखंड (2) में निर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय के लिए विधान मंडल रखने वाले संघ राज्यक्षेत्र की सरकार;

V " समुचित सरकार " से निम्नलिखित अभिप्रेत है, --

1. केंद्रीय सरकार द्वारा या विधान मंडल न रखने वाले संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रणाधीन विद्यालयों के लिए केंद्रीय सरकार;

2. किसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित, उपखंड (1) निर्दिष्ट विद्यालय से

भिन्न, किसी विद्यालय के लिए राज्य सरकार;

3. उस संघ राज्यक्षेत्र के भीतर स्थापित उपखंड (1) निर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय के लिए विधान मंडल रखने वाले संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

VI " प्रतिव्यक्ति फीस" से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय या संदाय अभिप्रेत है;

VII "निःशक्तता" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में यथापरिभाषित और राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम की धारा 2 के खंड (ञ) और खंड (ण) तथा उनके संशोधनों के अधीन यथापरिभाषित निःशक्तता अभिप्रेत है;

VIII " परीक्षा" से विद्यालय या विद्यालय शिक्षा के किसी बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा या निर्धारण अभिप्रेत है ।

IX किसी बालक के संबंध में "संरक्षक" से उस बालक की देखभाल करने और अभिरक्षा रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत कोई नैसर्गिक सरंक्षक या किसी न्यायालय या कानून द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया कोई संरक्षक भी है ।

X "जानकारी सूचना" से ऐसी साधारण जनता को जिनके अंतर्गत ऐसे विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले भी हैं, विद्यालय से संबंधित ऐसे विद्यालय के प्रबंधन या किसी प्राधिकारी या ऐसा करने के लिए ऐसे विद्यालय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऋजु और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया कोई प्रकाशनं चाहे वह मुद्रित हो या अन्यथा, अभिप्रेत है ।

XI "स्थानीय प्राधिकरण" से कोई नगर निगम या नगरपालिका परिषद या जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत किसी नगर, शहर या गांव में विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला या स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कृत्य करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया जाने वाला कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्मिलित है ।

XII " अन्य फीस और प्रभार" से ऐसी फीस अभिप्रेत है जिसमें यथास्थिति संबद्धक निकाय या समुचित सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे नियमित अंतरालों (मासिक/ त्रैमासिक /अर्द्धवार्षिक/वार्षिक) पर विद्यालय द्वारा उद्गृहीत अध्यापन फीस और प्रभार

सम्मिलित है ।

XIII " माता-पिता" से किसी बालक के या तो नैसर्गिक या सौतेले या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है ।

XIV "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

XV "प्राइवेट कोचिंग" से वेतन के रूप में विद्यालय द्वारा दिए गए से भिन्न कुछ धनीय प्रतिफल के लिए छात्रों को अध्यापन या मार्गदर्शन अभिप्रेत है ।

XVI " विद्यालय" से विद्यालय शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, --

1. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय;

2. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से उसके संपूर्ण या भागतः व्ययों की पूर्ति करने के लिए सहायता या अनुदानों को प्राप्त करने वाला कोई सहायता प्राप्त विद्यालय;

3. समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से उसके व्ययों की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदानों को प्राप्त न करने वाला कोई गैर सहायता प्राप्त विद्यालय; और

4. जिसके अंतर्गत पूर्व -विद्यालय कक्षाएं भी हैं

XVII " विद्यालय शिक्षा" से पूर्व विद्यालय कक्षाओं से कक्षा एक से बारहवीं तक की शिक्षा अभिप्रेत है;

XVIII "लैंगिक उत्पीड़न" से कोई अवांछनीय लैंगिक अंगविक्षेप या व्यवहार चाहे वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हो, लैंगिक आभासी अभिवचन; शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; अश्लील साहित्य दर्शित करना; लैंगिक अनुकूलताओं के लिए मांग या अनुरोध करना; लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक/अमौखिक आचरण अभिप्रेत है ।

XIX किसी विद्यालय के संबंध में "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित निकाय और " न्यास" से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निकाय अभिप्रेत है ;

XX " राज्य" से संविधान की पहली सूची में विनिर्दिष्ट कोई राज्य अभिप्रेत है और जिसमें संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है ;

XXI "प्रतिपाल्य" से किसी 'संस्था'/ ' विद्यालय' की देखभाल और नियंत्रणाधीन कोई छात्र अभिप्रेत है जिसमें वह प्रविष्ट हुआ है या प्रविष्ट होने की संभावना है ।

अध्याय 2

रसीद के बिना प्रवेश फीस और अन्य प्रभारों को स्वीकार करने, परस्पर योग्यता सूची के बिना प्रवेश देने, प्रति व्यक्ति फीस स्वीकार करने का प्रतिषेध और जानकारी सूचना का प्रकाशन करना ।

रसीद के बिना प्रवेश फीस और अन्य प्रभारों को स्वीकार करने का प्रतिषेध

3. (1) (क) कोई विद्यालय, ऐसे विद्यालय में चल रही किसी कक्षा में किसी स्थान के संबंध में प्रवेश के लिए विद्यालयों द्वारा जारी जानकारी सूचना में प्रवेश की तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व अग्रिम रूप से उसके द्वारा यथाघोषित या ऐसे स्थान पर प्रवेश के लिए समुचित सरकार/प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रवेश फीस और ऐसी फीस से भिन्न या ऐसे प्रवेश के लिए प्रभार के संबंध में कोई संदाय स्वीकार नहीं करेगा; और

(ख) विद्यालय, इस प्रकार प्रविष्ट संबद्ध छात्र के माता-पिता/संरक्षक को ऐसे संदाय के लिए लिखत में उचित रसीद जारी करेगा ।

(2) कोई विद्यालय जानकारी सूचना के लिए या प्रवेश प्ररूप या छानबीन प्रक्रिया के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं करेगा और उनमें अंतर्विष्ट सभी जानकारी को अपनी वैबसाइट या सूचनापट्ट पर रखेगा ।

छात्रों के चयन के लिए विनिर्दिष्ट परस्पर योग्यता के बिना प्रवेश का प्रतिषेध

4. छात्रों के चयन के लिए विनिर्दिष्ट परस्पर योग्यता के बिना प्रवेश का प्रतिषेध

(1) कक्षा IX-XII में प्रवेश के लिए चयन की दशा में विद्यालय द्वारा उसकी जानकारी सूचना में घोषित स्थानों के लिए कोई व्यक्ति, समुचित प्राधिकरण की लागू विधियों, नियम, विनियम और उपविधियों पर आधारित परस्पर योग्यता के माध्यम के सिवाय प्रवेश के लिए पात्र होगा और परस्पर योग्यता विनिश्चित करने की प्रक्रिया को प्रत्येक विद्यालय की जानकारी सूचना में उल्लिखित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, --

(क) प्रत्येक छात्र के प्रवेश के संबंध में छात्रों की संपूर्ण छानबीन प्रक्रिया के अभिलेख रखेगा ;

(ख) उसकी वेबसाइट/अनुरक्षित अभिलेखों में ऐसे अभिलेख प्रदर्शित करेगा;

(ग) जब कभी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित प्राधिकरण द्वारा आह्वान किए जाने पर ऐसे अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा :

परंतु इस खंड के अधीन अभिलेख, प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने की तारीख से संगणित दो वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुरक्षित किए जाएंगे कि जहाँ प्रवेश को किसी न्यायालय या अधिकरण मे प्रश्नगत किया गया है वहां अभिलेख ऐसी अवधि के लिए जो न्यायालय या अधिकरण ठीक समझे, अनुरक्षित किए जाएंगे ।

जानकारी सूचना, उसकी अंतर्वस्तु और उसकी कीमत का अनिवार्य प्रकाशन ।

5. प्रत्येक विद्यालय, ऐसे विद्यालय में अपने प्रतिपाल्यों का प्रवेश पाने का आशय रखने वाले उन माता-पिता/संरक्षकों तथा साधारण जनता की जानकारी के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अंतर्वस्तु वाली जानकारी सूचना को प्रवेश के प्रारंभ की तारीख से कम से कम साठ दिन पूर्व निःशुल्क प्रकाशित करेगा, अर्थात् :-

(i) विभिन्न कक्षाओं के लिए ऐसे विद्यालय में प्रविष्ट छात्रों द्वारा उन पर संदेय फीस, निक्षेप और अन्य प्रभार तथा रकमों के प्रत्येक संघटक तथा ऐसे संदाय के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ii) ऐसे विद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को प्रतिदेय शिक्षण फीस और अन्य प्रभारों की प्रतिशतता, यदि ऐसा छात्र ऐसे विद्यालय से पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूर्ण होने से पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे विद्यालय से प्रत्याहृत करता है और ऐसा समय जिसके भीतर और ऐसी रीति जिससे ऐसा प्रतिदाय उस छात्र को किया जाएगा ;

(iii) ऐसी विभिन्न कक्षाओं में, जिनके लिए प्रवेश किया जाना प्रस्तावित किया गया है, उपलब्ध स्थानों की संख्या ;

(iv) किसी विशिष्ट कक्षा में किसी छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सहित पात्रता की शर्तें, जहाँ इस प्रकार समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(v) कक्षा 8 के पश्चात् प्रत्येक कक्षा में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए छानबीन प्रक्रिया के ब्यौरे के संबंध में सभी सुसंगत जानकारी सहित ऐसे प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश और चयन की प्रक्रिया;

(vi) शिक्षकों की शैक्षिक अर्हताएं और शैक्षणिक अनुभव सहित शिक्षकों के ब्यौरे

तथा उसमें यह भी उपदर्शित करते हुए कि क्या वे नियमित आधार पर या संविदा पर हैं;

(vii) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए संदेय न्यूनतम वेतन और अन्य भत्ते;

(viii) छात्रावास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और स्वास्थ्य निरीक्षण, प्रतिबद्ध उद्योग सहित जिसमें छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना है, भौतिक और शैक्षणिक अनुदेश और विशेषकर विद्यालय में प्रविष्ट होने पर छात्रों को सुगम सुविधाओं के संबंध में जानकारी;

(ix) प्रत्येक कक्षा के लिए विद्यालय द्वारा अनुसरित किए गए पाठ्यक्रम की व्यापक रूप रेखाएं, अनुसरित की गई पाठ्यपुस्तकें जिसमें शिक्षण घंटे, उच्चतर कक्षाओं के संवर्द्धन के लिए मानदंड, व्यावहारिक सत्र और अन्य समनुदेशन सम्मिलित हैं;

(x) विद्यालय के परिसर में विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता से अनुषक्त करने के संबंध में सभी सुसंगत अनुदेश और इस संबंध में किन्हीं अनुदेशों के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए उनके परिणाम ;

(xi) ऐसी कोई अन्य जानकारी जो समुचित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए:

परंतु विद्यालय, इस उपधारा की मद (i) से मद (xi) में निर्दिष्ट जानकारी को उसकी वैबसाइट/सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित करेगा और विद्यालय के प्रवेश द्वार पर मुख्य रूप से उपदर्शित जानकारी के माध्यम से भावी छात्रों और साधारण जनता का ध्यान वैबसाइट/सूचना पट्ट में ऐसे प्रकाशन पर आकर्षित किया जाएगा;

प्रतिव्यक्ति फीस और अन्य अन्नृजु व्यवहारों का प्रतिषेध ।

6. (1) कोई विद्यालय, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अध्ययन की किसी कक्षा में किसी स्थान या स्थानों पर प्रवेश के लिए प्रतिफल के रूप में नकद या वस्तु में या अन्यथा प्रतिव्यक्ति फीस की मांग या उसको प्रभारित या स्वीकृत या किसी संदान की मांग नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी विद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिफल के रूप में नकद या वस्तु में या अन्यथा प्रतिव्यक्ति फीस की प्रस्थापना या संदाय नहीं करेगा या कोई संदान नहीं देगा ।

(3) कोई विद्यालय, किसी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न में आसक्त नहीं होगा ।

(4) कोई विद्यालय, मध्य सत्र के दौरान खंड 5 (i) में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं फीसों या फीसों से भिन्न रकम का अधिरोपण या संग्रहण नहीं करेगा ।

(5) कोई विद्यालय, एच आई वी/एड्स या किसी अन्य गंभीर व्याधि के आधार पर या निःशक्तता के आधारों पर किसी छात्र को प्रवेश से इंकार नहीं करेगा या उसको निष्कासित नहीं करेगा ।

(6) कोई विद्यालय, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षतः, विद्यालयों घंटों के पश्चात् विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राइवेट कोचिंग के लिए आग्रह नहीं करेगा ।

(7) कोई विद्यालय, विद्यालय परिसरों या किसी विशिष्ट दुकान या इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी दुकान से पुस्तकों, वर्दी, लेखन सामग्री या कोई अन्य संबंधित सामग्रियों को क्रय करने के लिए आग्रह नहीं करेगा ।

(8) कोई विद्यालय, उसके छात्रों को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं करेगा

(9) कोई विद्यालय, उसके छात्रों को किसी ऐसी परीक्षा में, जिसके लिए वे पात्र हैं और उपस्थित होने की वांछा रखते हैं, उपस्थित होने से नहीं रोकेगा ।

(10) कोई विद्यालय, किसी छात्र को निम्न शैक्षणिक निष्पादन के कारण निष्कासित नहीं करेगा, या मनमाने रूप से उसको निरुद्ध नहीं करेगा ।

प्रमाणपत्रों को वापस करने से इंकार करने या उनको विधारित करने या फीस, आदि के प्रतिदाय से इंकार करने पर प्रतिषेध ।

7. (1) कोई विद्यालय, जो किसी छात्र द्वारा ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उसके पास जमा किए गए किसी दस्तावेज के कब्जे या उसकी अभिरक्षा में हैं, उस छात्र को ऐसे प्रमाणपत्र,दस्तावेज को वापस करने से इंकार नहीं करेगा या ऐसे प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज को किसी ऐसे पाठ्यक्रम के संबंध मे जिसमें ऐसा छात्र ऐसे विद्यालय में अध्ययन करने या कोई सुविधा प्राप्त करने का आशय नहीं रखता है, किसी फीस या फीसों का संदाय करने के लिए ऐसे छात्र को उत्प्रेरित या बाध्य करने की दृष्टि से ऐसे प्रमाणपत्र या दस्तावेज को विधारित नहीं करेगा ।

(2) यदि कोई छात्र, किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन करने के लिए किसी विद्यालय में प्रविष्ट होने के पश्चात् उस विद्यालय से प्रत्याहूत करता है तो उस दशा में कोई विद्यालय स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार नहीं करेगा और ऐसे छात्र द्वारा जमा की गई फीस की ऐसी प्रतिशतता का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो उस विद्यालय की जानकारी सूचना में उल्लिखित की गई है, प्रतिदाय करेगा ।

(3) कोई विद्यालय, किसी ऐसे छात्र को जिसने उच्चतर कक्षा में उन्नयन के लिए पात्र होने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विषयों में अर्हित/ उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण स्थानातंरण प्रमाणपत्र नहीं देगा/ नहीं जारी करेगा ।

तथ्यों पर आधारित न होने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध ।

8. कोई विद्यालय, ऐसे समुचित प्राधिकरण द्वारा जहाँ वह इस प्रकार मान्यताप्राप्त या संबद्ध नहीं किया गया है, मान्यता प्राप्त होने या संबद्ध होने के दावे सहित प्रवेश लेने के लिए छात्रों को उत्प्रेरित करने हेतु तथ्यों पर आधारित न होने वाले किसी विज्ञापन को जारी या प्रकाशित नहीं करेगा ।

अध्याय 3

धनीय शास्तियों का अधिरोपण

जानकारी सूचना में जानकारी के प्रतिकूल करने के लिए शास्ति ।

9. कोई विद्यालय, जो धारा 5 के उपबंधों के अतिक्रमण में उसकी जानकारी सूचना में उसके द्वारा प्रकाशित जानकारी के प्रतिकूल कोई बात जानबूझकर करेगा वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी धनीय शास्ति का, जो दस लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

प्रति व्यक्ति फीस की मांग करने या उसको स्वीकार करने के लिए और अन्य अऋजु व्यवहारों के लिए शास्ति ।

10. (1) कोई विद्यालय, खंड 6 (1) और खंड 6(2) के उपबंधों के अतिक्रमण में किसी रीति से चाहे वह किसी प्रकार की हो, प्रति व्यक्ति फीस या संदान की मांग करेगा या उसको स्वीकार करेगा वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी धनीय शास्ति का, जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के दस गुना तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

(2) कोई विद्यालय, जो खंड 6 (3) से खंड 6 (10) तक के उपबंधों के अतिक्रमण में अन्य अऋजु व्यवहारों में आसक्त रहेगा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए किन्हीं प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी धनीय शास्ति का, जो दस लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

दस्तावेजों को वापस करने से इंकार करने या उसको विधारित करने के लिए शास्ति ।

11. कोई विद्यालय, जो ऐसा करने के लिए किसी उचित कारण के बिना किसी प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज को वापस करने से इंकार करता है या ऐसे प्रमाणपत्र या किसी अन्य दस्तावेज को विधारित करेगा या धारा 7(2) के उपबंधों के अतिक्रमण में फीसों का प्रतिदाय करने में असफल रहेगा वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी धनीय शास्ति का, जो एक लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

मिथ्या या भ्रामक विज्ञापन के लिए शास्ति ।

12. कोई विद्यालय, जो ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या या भ्रामक और धारा 8 के उपबंधों के उल्लंघन में है, वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

ऐसी धनीय शास्ति का, जो दस लाख रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

प्रतिव्यक्ति फीस आदि का अधिहरण ।

13. (1) इस अधिनियम के उल्लंघन में संग्रहीत कोई प्रति व्यक्ति फीस या संदान या कोई अन्य प्रभार, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों पर या शास्ति के अधिरोपण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आदेश द्वारा, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत निकाय द्वारा या समुचित सरकार द्वारा या राज्य शिक्षा अधिकरण द्वारा, यदि उपलब्ध हो, अधिहरण किए जाने के लिए दायी होगा ।

(2) अधिहृत प्रतिव्यक्ति फीस या संदान या कोई अन्य प्रभार पर ऐसी रीति से जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, कार्यवाही की जाएगी ।

समुचित सरकार द्वारा विद्यालयों में न्यायनिर्णयन और शिकायत दूर करने के लिए प्राधिकारी अधिसूचित किया जाना।

14. समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए और ऐसे विद्यालयों पर, जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कृत्य करेंगे, वसूल की जाने वाली शास्ति को अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी अधिकारिता को अधिसूचित करेगी :

परंतु ऐसा प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अधिकारिता में प्रत्येक विद्यालय ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन शिकायत को दूर करने के लिए तंत्र स्थापित करे ।

शास्ति का न्यायनिर्णयन ।

15. (1) धारा 14 में अधिसूचित प्राधिकारी किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक ने धारा 14 के परंतुक के अधीन स्थापित शिकायत को दूर करने के लिए तंत्र के अधीन उसको उपलब्ध सभी उपचारों का उपभोग कर लिया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को उसको उपलब्ध सभी उपचारों का उपभोग करने वाला समझा जाएगा, --

(क) यदि कोई अंतिम आदेश, शिकायत के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई अपील या अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए ऐसे नियमों के अधीन ऐसे आदेश को पारित करने में सक्षम शिकायत प्रतितोष प्राधिकारी द्वारा किया गया है; या

(ख) जहाँ कोई अंतिम आदेश, यदि ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, तीन मास की अवधि का अवसान हो गया है, किए गए आवेदन के संबंध में ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम शिकायत प्रतितोष प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है